जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा/जोन–11/2023/डी – 2129

दिनांक 27/7/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	शिवांगी धीर पुत्री स्व. श्री संजीव धीर	श्री संजीव धीर पुत्र श्री नन्द किशोर धीर व शिवांगी धीर पुत्री स्व. श्री संजीव धीर	आरसी 1 शॉप नं. 70	9 वर्गमीटर	निजी खातेदारी	ओमेक्स सिटी	नाम हस्तानान्तरण एवं लीजडीड जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र के आधार पर
2.	शिवांगी धीर पुत्री स्व. श्री संजीव धीर	श्री संजीव धीर पुत्र श्री नन्द किशोर धीर व शिवांगी धीर पुत्री स्व. श्री संजीव धीर	आरसी 1 शॉप नं. 71	9 वर्गमीटर	निजी खातेदारी	ओमेक्स सिटी	नाम हस्तानान्तरण एवं लीजडीड जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः—जविप्रा / उपा. / जोन—13 / 2023 / डी— 2099   दिनांकः— 27/7/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा / नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया हैं :—

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम / पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण / लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड / अन्य
1.	बी—157	315.00 वर्गमीटर	श्री कृष्ण गॉधी पुत्र श्री भगवान दास गॉधी	जविप्रा	कल्पना नगर आवासीय योजना	गुमशुदगी की रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत्।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने को कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/
उपायुक्त, जोन—13
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः—
1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन—13
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर—302 004
दुरभाष91—141—2569795 : ईपीबीएक्स — +91—141—2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स—+91—141—2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2023 / डी– 2701 दिनांकः– 24/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती सुधा जिन्दल	96	महा. गृ.नि.स.स.लि	विवेक विहार	नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा एवं मूल आवंटन पत्र में काट–छांट की गई

उपायुक्त, उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (0) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

E/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक:जविप्रा/उपा/जोन–11/2023/डी– 2126 — दिनांक 26/7/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा	श्री श्योजीराम शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिनारायण शर्मा	ए–392	200 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम झांई	लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा/जोन–11/2023/डी –212।

दिनांक 26/7/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री प्रदीप कुमार गोधा पुत्र श्री तारा चन्द गोधा	श्रीमती सरोज जैन पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जैन	1195	600 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीज होल्ड से फ्री–होल्ड लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन–11
ज.वि.प्रा. जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन–11
ज.वि.प्रा. जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा./उपा./जोन–13/2023/डी–2091   दिनांक : 26/7/23

लोक सूचना

श्री युवराज गुप्ता पुत्र स्व. श्री लाल चन्द गुप्ता एवं श्रीमती सपना गुप्ता पत्नी श्री युवराज गुप्ता, जाति–महाजन, निवासी–पी.एल. 441ए गली नम्बर 4 राजापार्क, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक (रिसोर्ट) प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	स्वामित्व
तहसील–आमेर जिला–जयपुर	स्यारी	441	0.9800	1. युवराज गुप्ता पुत्र लाल चन्द गुप्ता 2. सपना गुप्ता पत्नी युवराज गुप्ता
		448	0.3200	
		440	0.0100	
		566	0.4600	
		567	0.2300	
		किता–5	**2.00 हेक्टेयर**	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/7/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–5/2023/डी–1725 दिनांक 26.7.23

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू–उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू–उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान–2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू–उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्री रवि पोद्दार पुत्र श्री घनश्याम पोद्दार	श्री रवि पोद्दार पुत्र श्री घनश्याम पोद्दार	255	आवासीय	अपोलो नगर हाउसिंग कॉ ऑपरेटिव की योजना श्री गोपाल नगर	611.28 व. ग.	मिश्रित भू उपयोग (30 मीटर गहराई तक)	मिश्रित भू उपयोग

Sd/.
उपायुक्त जोन–5
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन–5
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री प्रमोद ढाका पुत्र श्री रामनाथ सिंह ढाका	श्री प्रमोद ढाका पुत्र श्री रामनाथ सिंह ढाका	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नं. 564/1	30129. 95 व. ग.	निजी खातेदार	रिसोर्ट एकल पट्टा	लीज होल्ड से फ्री होल्ड	जोन में पत्रावली उपलब्ध नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

26/07/23

उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2023/डी–8283
दिनांक 26-7-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

प्राधिकृत अधिकारी जोन–05
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / जोन–05 / 2023 / डी–1747 दिनांक :–27.7.23

लोक सूचना

विकास समिति सुल्तान नगर (रजि.) जयपुर द्वारा नीचे उल्लेखित भूमि ग्राम देवरी के खसरा नं. 201 से 205, 206 एवं 241 / 568 में सृजित शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सुल्तान नगर का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए स्व प्रेरणा से निर्णय लिया गया है, अर्थात् :–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर	ग्राम देवरी	201	0.06 हैक्ट.
		202	0.55 हैक्ट.
		203	0.55 हैक्ट.
		204	0.99 हैक्ट.
		205	0.44 हैक्ट.
		206	0.10 हैक्ट.
		241 / 568	0.33 हैक्ट.
		30	0.30 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–5

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2023 / डी– 1846 दिनांक 27/07/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम मानपुर गेट तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 339 / 283, रकबा 0.6828 हैक्ट. में से 1235.00 व.मी., ख.नं. 340 / 283 रकबा 0.6828 हैक्ट. में से 1225.00 व.मी. ख.नं. 360 / 284 रकबा 2.5669 हैक्ट. में से 6575.00 व.मी. कुल किता 03 कुल रकबा 3.9325 हैक्ट. में से 9035.00 व.मी. को खातेदार श्री गोगाराम पुत्र रामदेव हिस्सा 1 / 6, नन्छूलाल पुत्र नारायण हिस्सा 1 / 3, मोहरूराम पुत्र रामदेव हिस्सा 1 / 6, राधाकिशन पुत्र नारायण हिस्सा 1 / 3 द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत् समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत् विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन–14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14,
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन 14 जविप्रा जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in